परिशिष्ट "अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 833

अध्याय 3 – शक्तियां और कृत्य

नियम 16. स्थायी समिति की शक्तियॉ–अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति की, उसे सौंपे गए विषयों के संबंध में, निम्नलिखित शक्तियां होगीः–

(क) कागजपत्रों, दस्तावेजों तथा अन्य जानकारी को उसी रीति में तथा उसी सीमा तक मंगाना जिस तक कि यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को मंगाने की शक्ति है।

(ख) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए विषयों पर यथास्थिति, जनपद पंचायतों या जिला पंचायतों, के वार्षिक बजट में उपबंधित सीमा तक व्यय उपगत करना।

(ग) निधियों को एक शीर्ष के अधीन एक उपमद से उसी शीर्ष की अन्य उपमद में पुर्नविनियोजित करना तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अनुमोदन से रकम को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुर्नविनियोजित करना ।

(घ) विभिन्न शीर्षों के अधीन अभ्यर्पित किए जाने के लिये संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत तक प्राक्कलित करना और ऐसे विवरण यथास्थिति जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।

नियम 17.स्थायी समिति के कृत्य–अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए संबद्ध स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :–

(क) यथास्थिति धारा 50 की उपधारा (1) के या धारा 52 की उपधारा (1) के कार्यक्षेत्र में आने वाले कृत्य ।

(ख) इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कीमों या कार्यक्रमों के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये क्रमशः जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत किया जाना।

(ग) इसके द्वारा उपगत किए गए व्ययों का समुचित लेखा बनाए रखना।